पटना में दिनांक–08 अगस्त, 2017 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूर्व से संचालित सभी 80 आवासीय विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमण करने हेतु नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

2.	जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2017–18 में 12977.00 लाख रूपये (एक सौ उनतीस करोड़ सतहत्तर लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

3.	वर्ष 2017–18 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज-विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज पर अनुदान योजना मद में 6010.65 लाख (साठ करोड़ दस लाख पैंसठ हजार) रू० स्वीकृति।	3.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

4.	श्री अशोक कुमार खरे, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, सम्प्रति पुनर्नियुक्ति के आधार पर कार्यरत की पुनर्नियुक्ति अवधि को दिनांक–31.08.2018 (66 वर्ष की आयु) तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

5.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में मत्स्य विकास योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) अन्तर्गत राज्य के सभी अनुमंडलों के लिए मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 84 (चौरासी) पदों का मो० ₹ 16566480/–(₹ एक करोड़ पैंसठ लाख छियासठ हजार चार सौ अस्सी रू०) मात्र की लागत व्यय पर पद सृजन की स्वीकृति।	5.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6.	गया जिलान्तर्गत नगर अंचल के मौजा–कण्डी, थाना नं०–190, खाता सं०–412, खेसरा सं०–2337, रकबा–12 एकड़ अनावाद सर्व साधारण, नदी भूमि ए०डी०बी० सम्पोषित सिवरेज परियोजना के सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।	6.	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7.	बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 की स्वीकृति के संबंध में।	7.	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8.	बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017 की स्वीकृति के संबंध में।	8.	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–83 के पटना–गया–डोभी खण्ड (किमी 0.000 से किमी 127.358 तक) के चौड़ीकरण हेतु गया जिलान्तर्गत अंचल–नगर के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल–9.6065 हेक्टेयर (अर्थात 23.738 एकड़) भूमि (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) यथास्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	9.	**स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

10.	बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन एवं विधिमान्यकरण तथा जीएसटी से बाहर रखे गए कतिपय वस्तुओं पर कर दर एवं कराधेय बिन्दु के संदर्भ में अधिसूचना के संबंध में।	10.	**स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

11.	बिहार राज्य में कौशल विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू० 10276.60 लाख (एक सौ दो करोड़ छियत्तर लाख साठ हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन को विमुक्त करने के संबंध में।	11.	**स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2016 मौसम हेतु प्रीमियम अनुदान मद अंतर्गत राज्यांश के रूप में 500.00 करोड़ रू० (पाँच अरब रू०) मात्र एवं रबी 2016–17 मौसम हेतु प्रीमियम अनुदान मद अंतर्गत राज्यांश के रूप में 145.00 करोड़ रू० (एक अरब पैंतालीस करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति तथा उक्त के अधीन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में 645.00 करोड़ रू०(छः अरब पैंतालीस करोड़ रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति तथा प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप राशि की निकासी के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

कृषि विभाग

13. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन मद में 11479.88 लाख (एक अरब चौदह करोड़ उनासी लाख अट्ठासी हजार) रूपये, गैर वेतन मद में 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) रूपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 363.00 लाख (तीन करोड़ तीरसठ लाख) रूपये कुल 12942.88 लाख (एक अरब उनतीस करोड़ बयालिस लाख अट्ठासी हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

14. श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के अधिनस्थ सात निश्चय के तहत पटोरी अनुमंडल में स्थापित औ०प्र० संस्थान, पटोरी का नामाकरण बाबा केवल महाराज औ०प्र० संस्थान, पटोरी के नाम से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 44.75 करोड़ (चौवालीस करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत 50 प्रतिशत सब्सिडी–अनुदान पर 820.39 हेक्टेयर जलक्षेत्र में आर्द्र भूमि का विकास, 400 हेक्टेयर क्षेत्र में रियरिंग तालाब का निर्माण, 1220.39 हेक्टेयर जलक्षेत्र में प्रथम वर्ष इंटपुट, 500 ट्यूबवेल एवं 500 पम्पसेट का अधिष्ठापन तथा 4850 हेक्टेयर जलक्षेत्र में चौर एवं मन में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन की योजनाओं की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) में संशोधन हेतु विधेयक, 2017 की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

17. केन्द्र सरकार की लोक–निज–साझा पद्धति (केन्द्रः राज्यः इंडस्ट्री पार्टनर= 50:35:15) के आधार पर राज्य में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), भागलपुर की स्थापना हेतु अनुमानित कुल पूँजीगत लागत रू० 128.00 करोड़ (एक सौ अठाईस करोड़ रूपये) मात्र का 35 प्रतिशत राशि अर्थात रू० 44.80 करोड़ (चौवालीस करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र निवेश तथा संस्थान के निर्माण एवं संचालन हेतु इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सोसायटी भागलपुर के गठन की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. निजी क्षेत्र में प्रयोजक निकाय Ritnand Balved Education Foundation Defence colony, Ring road, New Delhi को अमिटी विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना एवं औपबंधिक रूप से दो वर्ष के लिए पटना में लीज पर लिए गए भवन से विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. ADB (ऐशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित गया सिवरेज परियोजना फेज–I अनुमानित लागत कुल–$ 54.92 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग 370.63 करोड़ रू०) (तीन सौ सत्तर करोड़ तिरेसठ लाख रू० मात्र) की योजना के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

20. केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के ठोस कचड़ा प्रबंधन (SWM) घटक के अंतर्गत राज्य के 5 शहरों (गया, बोधगया, मुजफ्फरपुर, बेतिया एवं सिवान) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित लागत कुल 26130.728 लाख रू० (दो अरब इकसठ करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू० मात्र) तथा इस योजना में राज्यांश के रूप में 3049.456 लाख रू० (तीस करोड़ उनचास लाख पैंतालीस हजार छह सौ रू० मात्र) का व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति। — 20. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

21. राज्य में दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनियों/आधारभूत संरचना कम्पनियों के आधारभूत संरचना के विकास के लिये सरकारी भूमि/भवनों पर दूरसंचार टॉवर स्थापित किये जाने से संबंधित स्वीकृति के संबंध में। — **21.** **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

22. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित अनुदान की राशि रू० 1,50,00,00,000/–(रूपये एक अरब पचास करोड़) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति। — **22.** **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

23. इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पुराने भवनों को तोड़कर नए भवनों के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू० 59,98,51,000/–(रूपये उन्सठ करोड़ अन्ठानवे लाख इक्यावन हजार) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्राशासनिक स्वीकृति। — **23.** **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

24. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में पदस्थापित नियमित पदाधिकारी/कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत गैर योजना मद में विभिन्न प्रकार के 20 (बीस) पदों को कुल ₹ 1,39,80,000/–(एक करोड़ उनचालीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) के वार्षिक व्यय पर सृजन के संबंध में। — **24.** **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

25. कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती अंचल के मौजा–डिड़िखिली, थाना सं०–119, खाता सं०–263, खेसरा सं०–64, 45 एवं 37, रकबा क्रमशः–0.13, 0.11 एवं 0.73 एकड़ कुल रकबा–0.97 एकड़ अनावाद बिहार सरकार भूमि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर निर्माण हेतु 1,60,000/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 1,55,20,000/–रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 7,76,000/–रू० का 25 गुणा अर्थात 1,94,00,000/–रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–3,49,20,000/–(तीन करोड़ उनचास लाख बीस हजार) रू० के भुगतान पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — **25.** **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26.	कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती अंचल के मौजा–कर्णपुरा एवं दहियाँव के विभिन्न खाता खेसरा की क्रमशः 0.10 एकड़ एवं 0.12 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि कुल 50,40,000/–(पचास लाख चालीस हजार) रू० के भुगतान पर (अनुलग्नक–I) विशेष रेल परियोजना पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कौरीडोर निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	26.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

27.	कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ अंचल के मौजा–अमेठ, थाना सं०–547, खाता सं०–273, खेसरा सं०–2015, रकबा–0.06 एकड़ अनावाद बिहार सरकार भूमि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर निर्माण हेतु 80,000/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 4,80,000/–रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 24,000/–रू० का 25 गुणा अर्थात 6,00,000/–रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 10,80,000/–(दस लाख अस्सी हजार) रू० के भुगतान पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	27.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28.	सुपौल जिलान्तर्गत सरायगढ़–भपटियाही अंचल के मौजा–सरायगढ़, थाना सं०–58, खाता सं०–1081 के विभिन्न खेसरा का कुल रकबा–2.52 एकड़ गैर मजरूआ खास अनावाद बिहार सरकार (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I संलग्न) की भूमि निर्मली–सरायगढ़ नई रेल परियोजना हेतु 5,500/–(पाँच हजार पाँच सौ) रू० प्रति डिसमिल की दर से 13,86,000/–(तेरह लाख छियासी हजार) रू० सलामी एवं सलामी के पाँच प्रतिशत का पच्चीस गुणा पूँजीकृत मूल्य 17,32,500/–(सतरह लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) रू० सहित कुल 31,18,500/–(एकतीस लाख अठारह हजार पाँच सौ) रू० के भुगतान पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	28.	स्वीकृत।

ह0/–
(शिशिर सिन्हा)
विकास आयुक्त, बिहार